तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए
18.11.2025	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। पूर्व में दिनांक 29.10.2025 को प्रकरण में बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थीगण ने एक बाजदायरी प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि मूल पत्रावली में दिनांक 06.12.2022 नियत थी, परन्तु प्रार्थीगण स्वयं 03.00 बजे तक न्यायालय के बाहर बैठा रहा। न तो प्रार्थी के अधिवक्ता को आवाज दिलवाई गई न ही प्रार्थीगण के अधिवक्ता को आवाज दिलवाई गई, और हमारा प्रकरण अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 06.12.2022 की जानकारी दिनांक 13.12.2022 को हुई। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने फरमाने की कृपा करें। वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 ने जवाब पेश किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 06.12.2022 को खारिज हुआ है, जिसको नंबर पर लेने हेतु यह प्रार्थना पत्र 22.06.2023 को पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र देरी से पेश करने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। इस प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाने की कृपा करे। हमने वकील प्रार्थीगण एवं वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा मूल पत्रावली के निर्णय दिनांक 06.12.2022 की जानकारी 13.12.2022 को हो चुकी थी, परन्तु उनके द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांक 22.06.2023 को पेश किया गया है, जिसका उनके द्वारा कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। साथ ही वकील प्रार्थीगण ने दफा 5 का प्रार्थना पत्र अधीन लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार मेरी विनम्र राय में वकील प्रार्थीगण का बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। अतः वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा	उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.19 10:49:15 IST
Reason: SelfAttested